सत्यमेव जयते

| राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| वैशाख 08, शुक्रवार, *शाके* 1945-अप्रेल 28, 2023<br>*Vaisakha 08, Friday , Saka 1945- April 28, 2023* | |

**भाग-1(ख)**

**महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।**

## जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

## सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

अधिसूचना

**जयपुर, मार्च 31, 2023**

**संख्या प.8(2)पीएचई/2021 :-**चूँकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना हेतु तहसील धौलपुर जिला-धौलपुर में रॉ वाटर रिजरवायर, पम्प हाउस, फिल्टर प्लान्ट आदि के निर्माण कार्य के लिए ग्राम बसईनीम, जिला धौलपुर की 1.28 हैक्टेयर भूमि अवाप्त किया जाना अपेक्षित है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन,.पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का नियम,2016 के नियम 5 प्रावधानो के अनुसरण में प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत से परामर्श करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का नियम. 2016 के नियम 5 व 6 के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण करने हेतु उपखण्ड अधिकारी धौलपुर जिला धौलपुर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 की धारा 3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51)REV-62014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी धौलपुर जिला धौलपुर होंगे।

विवरण कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड, धौलपुर के अन्तर्गत चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना में रॉ वाटर रिजरवायर, पम्प हाउस, फिल्टर प्लान्ट आदि के निर्माण कार्य के लिए अवाप्त की जाने वाली भूमि हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बावत् भूमि विवरण निम्नानुसार हैः-

| क्र.स. | कार्य का नाम | जिले का नाम | तहसील का नाम | उपखण्ड अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी का नाम |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना में रॉ वाटर रिजरवायर,पम्प हाउस,फिल्टर प्लान्ट आदि का निर्माण कार्य। | धौलपुर | धौलपुर | धौलपुर |

फार्म 2

अन्तर्गत नियम - 5 पार्ट - बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

| | | |
|---|---|---|
| क | परियोजना विकासकर्ता का नाम प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण और अर्जन के लिये प्रस्तावित भूमि का विस्तार सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित | परियोजना विकासकर्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग होगा। जल जीवन मिशन के तहत चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना में रॉ वाटर रिजरवायर,पम्प हाउस, फिल्टर प्लान्ट आदि के निर्माण कार्य के लिए धौलपुर के ग्राम बसईनीम की अर्जन की जाने वाली भूमि 1.28 हैक्टेयर है। जिसका विवरण उक्तानुसार अंकित है। |
| ख | सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत 1 परामर्श 2 सर्वेक्षण 3 सार्वजनिक सनुवाई/सनुवाईयां भी दे | 1. परामर्श - राजस्थान भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2016 के 5(3) के अनुसार |
| ग | यदि ग्राम सभा और/या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन दिया जाना होगा | भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम. 2013 की धारा 2 की उप धारा 1 के अनुसार लागू नहीं है। |
| घ | सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ आने वाले परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रंबधन- योजना) विनिर्दिष्ट किये जाने होंगें। | अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 के अनुसार अधिकतम 6 माह की समयावधि में सामाजिक समाघात अध्ययन का कार्य करना होगा। अधिनियम की धारा 4,5 व 7 तथा नियम 5 के अनुसार प्रारूप-3 में सामाजिक समाघात निर्धारण् रिपोर्ट तैयार होगी तथा प्रारूप-4 में सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना बनायी जाएगी |
| ड | इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन की प्रप्रीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो | हॉ |

| | | |
|---|---|---|
| | जायेगी। | |
| च | सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई से सम्पर्क करने सम्बन्धी जानकारी | राजस्व विभाग के परिपत्र प 1(50) राज. 06/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन निर्धारण करने हेतु एजेन्सी की नियुक्ति होगी। |

**राज्यपाल की आज्ञा से,**

गोपाल सिंह,

**शासन उप सचिव।**

| धौलपुर तहसील का भूमि का विवरण | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रमांक | गांव का नाम | तहसील | जिला | खसरा संख्या | भूमिका क्षेत्रफल (हैक्टेयर) | अर्जन की जाने वाली भूमि (हैक्टेयर) | विशेष टिप्पणी |
| 1 | बसईनींव | धौलपुर | धौलपुर | 1149/106 | 1.2519 | 1.2519 | |
| 2 | बसईनींव | धौलपुर | धौलपुर | 1220/244 | 0.0253 | 0.0253 | |
| | **कुल योग** | | | | | 1.28 | |

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**